उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-22/2015/सीपी 524/84-2-2015-सीपी 2/2014
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2015
कार्यालय ज्ञाप

श्री बृजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सालिग राम सोनी, जिला जज (सेवानिवृत्त), 7, न्याय विहार कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ-226013 की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या- 67/सीपी 1064/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर में अध्यक्ष के पद पर की गयी थी। इस आदेश के अनुपालन में श्री बृजेश कुमार द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के पूर्वान्ह में जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2381/एससीडीआरसी/अधि/57/14, दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा श्री बृजेश कुमार के पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री बृजेश कुमार ने अपने पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 में अवगत कराया है कि उनका चयन न्यायिक सदस्य, लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के पद पर हो जाने के कारण वे दिनांक 03 अगस्त, 2015 के पूर्वान्ह से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री बृजेश कुमार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर का त्यागपत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर के अध्यक्ष के पद से श्री बृजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सालिग राम सोनी, जिला जज (सेवानिवृत्त), 7, न्याय विहार कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ-226013 द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 03 अगस्त, 2015 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 22/2015/सीपी 524/84-2-2015-सीपी 2/2014, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।
(3) कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री बृजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सालिग राम सोनी, जिला जज (सेवानिवृत्त), 7, न्याय विहार कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ-226013
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in